कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर।

संख्यांकः मान्यता/ 273 /2016
पत्रांकः/शिविर/ 153 /2016–17

दिनांकः31 दिसम्बर, 2016

प्रबंधक,

एस०पी० पब्लिक स्कूल गुरुवलिया

विकास खण्ड.......दुदही

जनपद–कुशीनगर।

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांकः 29.9.16 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती /पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, एस०पी० पब्लिक स्कूल गुरुवलिया , विकास — खण्ड– दुदही , जनपद–कुशीनगर को दिनांक–01 जुलाई, 2016 से दिनांक–30 जून, 2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री प्राइमरी अंग्रेजी माध्यम से 8 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध–1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4– पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबंधो का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगाः
- किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगाः
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्त्तीण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगीः
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगाः
- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जानाः
- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इन अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें:
- अध्यापक अधिनियम की धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करना हैः और
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें:

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

- ❖ विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 0.190 हे० (1214)
- ❖ कुल निर्मित क्षेत्रफल–
- ❖ क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल– 0.162 हे०
- ❖ कक्षाओं की संख्या– 10
- ❖ प्रधानाध्यापक–सह कार्यालय–सह–भांडारागार के लिए कक्ष–03
- ❖ बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– 03+02
- ❖ पेयजल सुविधा– वाटर सप्लाई
- ❖ मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई–
- ❖ बाधारहित पहुंच–
- ❖ अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता–

9– विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10–विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12–स्कूल को किसी ब्यष्टि, ब्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य ब्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर को भेजी जानी चाहिए।

14–आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या– 273 /2016 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यालय की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17–संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

(पन्ना राम गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कुशीनगर।